आर.सी.एस.ए. 25/2022 लीलाबाई विरूद्ध ईश्वरलाल आदि

21.07.2026

वादी लीलाबाई सहित श्री विष्णुसिंह देवड़ा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा श्री मिर्जा अफजल बैग अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी कमांक 02 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 (3) सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया। प्रतिलिपि प्रतिवादी को प्रदान की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मिर्जा अफजल बैग ने वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर आपत्ति होना प्रकट करते हुए लिखित जवाब प्रस्तुत न किया जाना व्यक्त किया गया।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर तर्क हेतु थोड़ी देर बाद पुनः पेश हो।

राज कुमार त्रिपाठी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
मंदसौर, जिला मंदसौर (म0प्र0)

पुनश्चः—

वादी लीलाबाई सहित श्री विष्णुसिंह देवड़ा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा श्री मिर्जा अफजल बैग अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी कमांक 02 पूर्व से एकपक्षीय।

वादी लीलाबाई की पहचान विष्णु सिंह देवड़ा अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 01 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र सारतः इस आशय का है कि प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी द्वारा हस्तगत वाद स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वादिया अपना वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध चालाना नहीं चाहती है व वर्तमान वाद बिना शर्त वापस लेना चाहती है। उक्त तथ्य की

पुनरावृत्ति वादी ने आवेदन पत्र के समर्थन में लिये गये कथन में भी किया है।

अवलोकनीय है कि विचारणीय आवेदन पत्र के माध्यम से वादी ने हस्तगत प्रकरण के न्यायालय में लंबित रहने के दौरान उसका प्रतिवादीगण से न्यायालय के बाहर समझौता हो जाने के आधार पर वाद को बिना शर्त वापस लेते हुये समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में वादी का राजीनामा कथन लेखबद्ध किया गया।

इस संबंध में आदेश 23 नियम 1 (1) व्य0प्र0सं0 यह उपबंधित करता है कि– ''वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा।''

उपरोक्तानुसार आदेश 23 नियम 1 (1) व्य0प्र0सं0 के उक्त प्रावधान के आलोक में वाद संस्थित किए जाने के पश्चात् किसी भी समय वादी अपने दावे को बिना शर्त वापस ले सकता हैं। वर्तमान प्रकरण में वादी प्रस्तुत दावा बिना किसी शर्त के वापस लेना चाहता है और न्यायालय से कोई सहायता भी प्राप्त नहीं करना चाहता हैं। ऐसी स्थिति में आदेश 23 नियम 1 (1) व्य0प्र0सं0 के प्रावधान के आलोक में वादी को **बिना शर्त** दावा वापस लेने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विचार वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 व्य0प्र0सं0 स्वीकार कर वादी को दावा बिना शर्त वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण समाप्त।

व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का नतीजा सी0आई0एस0 साफ्टवेयर में दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

राज कुमार त्रिपाठी
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
मंदसौर, जिला मंदसौर (म0प्र0)

RAJ KUMAR TRIPATHI
Digitally signed by RAJ KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.07.24 10:55:56 +0530